

होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित शासनादेश/मुख्यालय के आदेश

क्र० सं०	दिनांक	शासनादेश/मुख्यालय के आदेश संख्या-	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	31-08-2010	मुख्यालय का आदेश- 1573/लेखा/प्रशिक्षण-18/2010	प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षणार्थियों के भोजन/डाइट के संबंध में राशन स्केल का निर्धारण।	02
2	13-10-2021	शासनादेश- 43/2021/1619/पन्चानबे-2021/137होगा/86 टी०सी०	उप महासमादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रभारी बनाये जाने के संबंध में।	05
3	29-07-2022	शासनादेश- 43/2022 /1995/पन्चानबे-2022/31 प्रकीर्ण/2017 (पार्ट-2)	अवैतनिक अधिकारियों/होमगार्डस स्वयंसेवकों को 42 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के स्थान पर कुल 90 दिवसीय प्रशिक्षण लागू किय जाने के संबंध में।	06

होमगार्ड्स मुख्यालय, 30प्र0, लखनऊ।

संख्या: 1573/लेखा/प्रशिक्षण-18/2010

दिनांक 31 अगस्त, 2010

प्रेषित ,

- 1- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स, लखनऊ।
- 2- समस्त कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र,
होमगार्ड्स, 30प्र0 ।

कृपया होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र सं0 1458/लेखा/प्रशिक्षण-18/2010 दिनांक 20-8-2010 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा वर्ष 2010-2011 के प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्गत किये गये हैं।

प्रशिक्षण शिबिरो में प्रशिक्षार्थियों के भोजन/डाइट के सम्बन्ध में महासमादेष्टा महोदय ने निम्नानुसार मीनू/राशन स्केल अनुमोदित कर दिया है:-

1-सामान्य मीनू।

2-स्पेशल भोजन का मीनू।

सामान्य मीनू (100 प्रशिक्षार्थियों को आधार मानकर आगणन किया गया है)

क्र0सं0	वस्तु का नाम	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित मात्रा	मांग की गयी मात्रा
1-	आटा	700 ग्राम	70 कि0ग्रा0
2-	चावल	50 ग्राम	5 कि0ग्रा0
3-	चना	50 ग्राम	5 कि0ग्रा0
4-	दाल	120 ग्राम	12 कि0ग्रा0
5-	मक्खन	10 ग्राम	1 कि0ग्रा0
6-	चीनी	40 ग्राम	4 कि0ग्रा0
7-	चाय	003 ग्राम	300 ग्रा0
8-	दूध	230 ग्राम	23लीटर
9-	तेल सरसों	15 ग्राम	1.500 कि0ग्रा0
10-	नमक	15 ग्राम	1.500 कि0ग्रा0
11-	मसाला	10 ग्राम	
12	हल्दी	-	300 ग्राम
13	धनिया	-	200 ग्राम
14	मिर्चा	-	200 ग्राम
15	जीरा		50 ग्राम
16	गरम मसाला		150 ग्राम
17-	लकड़ी	1.500 कि0ग्रा0	150 कि0ग्रा0
18-	सब्जी	400 ग्राम	40 कि0ग्रा0
19	आलू		24 कि0ग्रा0

20	प्याज		3 कि०ग्रा०
21	टमाटर		2 कि०ग्रा०
22	लहसुन		250 ग्राम
23	अदरक		250 ग्राम
24	हरी धनिया		200 ग्राम
25	हरी मिर्च		300 ग्राम
26	चना छोला		10 कि०ग्रा०
27	गरी		500 ग्राम
28	किशमिश		500 ग्राम
29	मखाना		500 ग्राम
30	चिरौंजी		500 ग्राम
31	रिफाइन्ड	प्रति 5 कि०ग्रा० आटा पर 1 कि०ग्रा०	14 कि०ग्रा०
32	अन्य (फल) केला	1 पीस प्रति व्यक्ति	100 पीस

होमगार्ड्स मुख्यालय के परिपत्र सं०: तीन-289/1974, दिनांक 13-07-1990 में भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय से प्रकीर्ण व्यय की धनराशि रू० 1-00 स्वीकृत की गयी थी, जिसे पूर्व की भांति ही व्यय किया जाए।

आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु इस मुख्यालय से निर्गत परिपत्र सं०: /तीन-289/1974, दिनांक 13-7-1990 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

(आर० सिंह)

डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, आगरा/इलाहाबाद।
- 2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश।

(आर० सिंह)

डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल।

1	जीरा		150 ग्राम
2	गरम मसाला		150 ग्राम
3	लकड़ी	1.500कि०ग्रा०	150 कि०ग्रा०
4	सब्जी	400 ग्राम	40 कि०ग्रा०
5	आलू		18 कि०ग्रा०
6	प्याज		4 कि०ग्रा०
7	टमाटर		2.5 कि०ग्रा०
8	लहसुन		400 ग्राम
9	अदरक		300 ग्राम
10	हरी धनिया		300 ग्राम
11	हरी मिर्च		500 ग्राम
12	परवल		07 कि०ग्रा०
13	लौकी		07 कि०ग्रा०
14	अन्य (फल) सेब	1 पीस प्रति व्यक्ति	लगभग 15 कि०ग्रा०

स्पेशल भोजन का मीनू (100 प्रशिक्षार्थियों को आधार मानकर आगणन किया गया है)

क्र०सं०	वस्तु का नाम	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित मात्रा	मांग की गयी मात्रा
1-	आटा	700 ग्राम	70 कि०ग्रा०
2-	चावल	50 ग्राम	5 कि०ग्रा०
3-	चना	50 ग्राम	5 कि०ग्रा०
4-	चीनी	70 ग्राम	7 कि०ग्रा०
5-	चाय	15 ग्राम	150 कि०ग्रा०
6-	दूध	230 ग्राम	23 लीटर
7-	तेल सरसों	15 ग्राम	1.500 कि०ग्रा०
8-	नमक	15 ग्राम	1.500 कि०ग्रा०
9-	मसाला	10 ग्राम	
10-	हल्दी	-	300ग्राम
11-	धनिया	-	250ग्राम
12-	मिर्चा	-	250ग्राम

संख्या-43/2021/1619/पन्चानबे-2021/137 होगा/86 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अुनभाग

लखनऊ: दिनांक : 13 अक्टूबर, 2021

विषय उप महासमादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रभारी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-6861/कार्मिक/बैठक-383/2020 दिनांक 17.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महासमादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को उप महासमादेष्टा, प्रशिक्षण, लखनऊ कहा जायेगा, जो केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ समस्त मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स के प्रभारी भी होंगे। वे समय-समय पर सभी मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण करेंगे तथा मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्टि भी अंकित करेंगे।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-43/2021/1619(1)/पन्चानबे-2021 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त महासमादेष्टा, होमगार्ड्स मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
- 3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट-ग्रेड-2, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
- 4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट-ग्रेड-1, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
- 5- समस्त, जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, 30प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग

लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2022

विषय:- अवैतनिक अधिकारियों/होमगार्डस स्वयंसेवकों को 42 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के स्थान पर कुल 90 दिवसीय प्रशिक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6744/कार्मिक/सूचना-313/2019 दिनांक 19 जुलाई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में नवचयनित ग्रामीण होमगार्डस स्वयंसेवकों को 42 दिवसीय प्रशिक्षण, नवचयनित शहरी होमगार्डस स्वयंसेवकों को 57 दिवसीय अंशकालीन प्रशिक्षण एवं 10 दिवसीय प्रशिक्षण तथा नवचयनित महिला होमगार्डस स्वयंसेवकों को 94 दिवसीय अंशकालीन प्रशिक्षण के स्थान पर समस्त नवचयनित पुरुष (शहरी/ग्रामीण) एवं महिला अवैतनिक अधिकारियों/होमगार्डस स्वयंसेवकों को आपके प्रस्ताव के अनुरूप 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-43/2022/1915(1)/पन्चानबे-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप महासमादेष्टा, होमगार्डस 'प्रशिक्षण', केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, 30प्र0।
2. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्डस ग्रेड-2/1, 30प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, 30प्र0 लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

भवदीय,

आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।